पत्र संख्या : 7 वि॰शा॰/मु॰ल॰सिं॰राँची–07–02/2022 ज॰स॰–23

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

प्रशांत कुमार
सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, दुमका;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी।
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांकः 06/06/22

विषय :– वित्तीय वर्ष 2022–23 में जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग) अन्तर्गत पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का सम्पोषण एवं पुनर्स्थापन कार्य हेतु रूपये 476.233 लाख (रूपये चार करोड़ छिहत्तर लाख तेईस हजार तीन सौ मात्र) राशि आवंटित करने के संबंध में।

प्रसंग :– प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश संख्या– 18/28.10.2021; (Online AA- 1220/ 02.11.2021)

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2022–23 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष **4702–लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय** के अंतर्गत निम्नवत् दर्शाये गये लघु शीर्ष /उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को आवंटन संसूचित किया जाता है :–

क्र॰	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष/ उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रू॰)
1	2	3	4	5
1.	50–जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)/ 4702–लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	101–सतही जल/ 20– पुरानी लघु सिंचाई योजनओं का सम्पोषण एवं पुनर्स्थापन कार्य	05–निर्माण/ 45– निर्माण कार्य विपत्र कोड– 50S47020010120000545	**476.233**
आवंटित राशि – रूपये चार करोड़ छिहत्तर लाख तेईस हजार तीन सौ मात्र।				

2. उपर्युक्त आवंटित की जा रही राशि का व्यय परिशिष्ट–1 में अंकित कार्य प्रमंडलों के द्वारा नियमानुसार किया जाएगा।
3. आवंटित राशि वर्ष **2022–23** के बजट उपबंध राशि **रू॰ 9500.00 लाख (रूपये पंचानबे करोड़)** मात्र के अंतर्गत है।
4. आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्त्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि॰ (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि॰) दि॰ 15.07.2003, 1363 दि॰ 09.05.2016 एवं 2747/वि॰, दिनांक–19.09.2016 के आलोक में होगा।
5. आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति के अन्तर्गत स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम के अनुरूप किया जायेगा।
6. संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
7. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
8. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि॰)

06/06/22

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि॰)

9. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।

10. आवंटित राशि से अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।

11. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगें। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगें कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।

12. झारखण्ड वित्त नियमावली (भाग–1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्त नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।

13. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।

14. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका **इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च 2023 के पूर्व तक** निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी ईकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राशि का यथाशीघ्र प्रत्यार्पण कर दिया जाय। **राशि का प्रत्यर्पण, Online** उप **शीर्षवार किया** जाय एवं **पूर्ण प्रत्यर्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No/Surrender No (संबंधित LOC No सहित)** का भी आवश्यक रूप से **उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।**

नोट : आवंटित राशि को **Online Allotment System** द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका **Access no** परिशिष्ट–1 के स्तंभ–15 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट **(http://www.wrdjharkhand.nic.in)** पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक–यथोक्त्।

06/06/22
(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :– 23 रॉची, दिनांक :– 06/06/22

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (लेखा एवं हक०) झारखण्ड पो० – हिनू, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा/देवघर सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनुलग्नक–यथोक्त्।

06/06/22
(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :– 23 राँची, दिनांक :– 06/06/22

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, योजना–सह–वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो०) रॉची/अभियंता प्रमुख–**I** एवं **II**, जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि०)/उप सचिव (अभि०), जल संसाधन विभाग/प्रशाखा–7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनुलग्नक–यथोक्त्।

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि०)

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि०)

06/06/22
(प्रशांत कुमार)
सचिव

परिशिष्ट –1

विभागीय पत्रांक 23 दिनांक 06/06/22 का अनुलग्नक

मुख्य शीर्ष–4702– लघु सिंचाई पर पूँजीगत व्यय
लघु शीर्ष–101–सतही जल,
उप शीर्ष–20–पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का सम्पोषण एवं पुनर्स्थापन कार्य,
विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण
संशोधित बजट उपबंध (2022–23) – रूपये 9500.00 लाख (रूपये पंचानबे करोड़) मात्र
विपत्र कोड– **50S47020010120000545**

(राशि लाख रूपये में)

क्र.	कार्यालय का नाम	जिला	प्रखण्ड	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति: प्रसंग	प्रशासनिक स्वीकृति: राशि	प्रशासनिक स्वीकृति: Online प्रसंग	एकरारित राशि	मार्च 2022 तक व्यय	वर्ष 2022–23 में: पूर्व का आवंटन	वर्ष 2022–23 में: वर्तमान आवंटन	वर्ष 2022–23 में: कुल आवंटन	योजना पर कुल अद्यतन आवंटन (10+13)	Online Allotment Access No.	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	लघु सिंचाई रूपांकण प्रमंडल, दुमका शिविर, देवघर **(DGRMIR001)**	देवघर	देवघर	खास बांध गड़जोरा मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार	18/2021-22 dt 28.10.2021	40.86150	1220 / 02.11.2021	40.360	0.000	0.000	31.560	31.560	31.560	**27308**	
2		देवघर	सारठ	सेवाईजोर मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार		175.21000		173.486	0.000	0.000	66.421	66.421	66.421		
3		देवघर	सारठ	अराजोरी मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार		58.99000		61.217	0.000	0.000	46.310	46.310	46.310		
4		देवघर	पालोजोरी	रॉंगाटांड़ मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार		94.94000		98.357	0.000	0.000	74.510	74.510	74.510		
5		देवघर	करौं	कमलिया मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार		48.64000		48.165	0.000	0.000	41.460	41.460	41.460		
6		देवघर	करौं	दासडीह मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार		42.31500		24.929	0.000	0.000	17.560	17.560	17.560		
7		देवघर	सारवॉं	नवाबांध मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार		90.32000		93.769	0.000	0.000	60.662	60.662	60.662		
8		देवघर	सारवॉं	लस्करडीह मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार		105.00000		103.901	0.000	0.000	56.130	56.130	56.130		
9		देवघर	देवीपुर	केन्दुआ मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार		24.13000		23.828	0.000	0.000	16.200	16.200	16.200		
10		देवघर	देवीपुर	महबदिया मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार		82.33000		85.518	0.000	0.000	65.420	65.420	65.420		
			योग :–			**762.73650**		**753.530**	**0.000**	**0.000**	**476.233**	**476.233**	**476.233**		

आवंटित राशि – रूपये चार करोड़ छिहत्तर लाख तेईस हजार तीन सौ मात्र।

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि॰)

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि॰)

06/06/22
(प्रशांत कुमार)
सचिव